माननीय न्यायमूर्ति पी. के. जैन, के समक्ष

जीवनी और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता।

सी. आर. एम. 1995 का सं. 7505

20सितंबर, 1996

भारतीय दंड संहिता 1860- धारा 323, 406, 498-ए और 506-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 181, 184, 220 और 223- **आपराधिक न्यासभंग** का अपराध-मुकदमे का स्थान-एक साथ विचारणीय अपराध-न्यायालय की अधिकारिता ।

अभिनिर्धारित किया गया कि सभी अपराध स्थानीय हैं और अपराध की सुनवाई के लिए उचित और सामान्य स्थान क्षेत्राधिकार का क्षेत्र है, जिसमें साक्ष्य के आधार पर तथ्य घटित होते हैं और अपराध का गठन करने का आरोप लगाया जाता है। हालाँकि, इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद हैं। आपराधिक **न्यासभंग** के अपराध की जांच और मुकदमा उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर संपत्ति का कोई भी हिस्सा जो अपराध का विषय है, आरोपी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया था।

पैरा 10

यह निर्धारित करने के लिए वास्तविक पर्याप्त परीक्षण कि क्या कई अपराध एक साथ इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि एक लेन-देन बन जाए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वे उद्देश्य के बिंदु पर या कारण और प्रभाव के रूप में एक साथ संबंधित हैं, या प्रमुख और सहायक कार्यों के रूप में एक निरंतर कार्रवाई का गठन करते हैं। हालाँकि, यह आवश्यक नहीं है कि लेनदेन को समान मानने के लिए इनमें से प्रत्येक तत्व सह-अस्तित्व में होना यह इंगित करने के लिए एक मजबूत परिस्थिति होगी कि वे कार्य एक ही लेनदेन का हिस्सा हैं। क्रूरता, उत्पीड़न, मारपीट और धमकियों के कथित कृत्य दहेज की गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए प्रतिवादी नंबर 2 पर दबाव डालने और ऐसी मांग को पूरा करने में उसकी विफलता के कारण सीमित हैं।याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए सभी चार अपराधों को एक ही लेन-देन का हिस्सा कहा जा सकता है।

(पैरा 12 &13)

बलदेव सिंह, अधिवक्ता याचिकाकर्ता के लिए।

एस. एन. गौर, डी. ए. जी. हरियाणा, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए।

प्रतिवादी संख्या 2 के लिए गोपी चंद, अधिवक्ता

निर्णय

न्यायमूर्ति पी. के. जैन

(1) यह याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 482 (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) के तहत शिकायत (अनुलग्नक पी. एल.), प्रथम सूचना रिपोर्ट (अनुलग्नक पी. 2), संहिता की खंड 173 (अनुलग्नक पी. 3) के तहत दायर रिपोर्ट, उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, सफीदोन द्वारा पारित 8 नवंबर, 1993 का आदेश (अनुलग्नक पी. 4) याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तैयार करने का निर्देश और 8 नवंबर, 1993 (अनुलग्नक पी-5) के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धारा 406/323/498-A/506 आई. पी. सी. के तहत अपराधों के लिए परिणामी रूप से आरोप तैयार किया गया है।

(2) इस याचिका के निस्तारण हेतु आवश्यक तथ्य यह है कि 2 जून 1992 को श्रीमती. यहां प्रतिवादी नंबर 2 सरोज ने धारा 323/406/498-ए/506/120-बी आईपीसी के तहत शिकायत (अनुलग्नक पी. 1) दर्ज की। उपमंडल मजिस्ट्रेट, सफीदों के समक्ष याचिकाकर्ताओं के खिलाफ, जिन्होंने सम तारीख के आदेश से, इसे संहिता की धारा 156 (3) के तहत पुलिस स्टेशन सफीदों में भेज दिया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एफ.आई.आर. क्रमांक 201 दिनांक 5 जून 1993 (अनुलग्नक पी. 2) सहित मामला दर्ज कर लिया। उक्त अपराध की जांच की गई, गवाहों के बयान दर्ज किए गए, याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, और जांच पूरी करने के बाद संहिता की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट दायर किया गया। 6 जुलाई, 1993 (अनुलग्नक पी. 3) उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, सफीदों की अदालत में दायर किया गया था।संज्ञान लिया गया, याचिकाकर्ताओं को तलब किया गया और 8 नवंबर, 1993 के आदेश द्वारा (अनुलग्नक पी. 4), उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि सभी प्रतिलिपिकारों के खिलाफ धारा 406/323/498-ए/506 आई. पी. सी. के तहत आरोप तय करने के लिए एक प्रथमदृष्टया मामला बनाता है और परिणामस्वरूप उसी दिन एक आरोप (अनुलग्नक पी. 5) तय किया गया था।

(3) व्यथित महसूस करते हुए, सभी चार आरोपियों ने वर्तमान याचिका दायर की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि पुलिस और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सफीदों के पास शिकायत पर विचार करने, मामले की जांच करने और विभिन्न अपराधों के लिए याचिकाकर्ताओं पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्यूंकि उक्त अपराध पुलिस स्टेशन और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे अपराध किया गया है।यह आगे कहा गया है कि दहेज की वस्तुओं को सौंपने के आरोप काफी अस्पष्ट हैं और इस बारे में कोई विशिष्ट आरोप नहीं हैं कि कौन सी वस्तु किसे सौंपी गई थी।इसी तरह यह आरोप लगाया गया है कि अन्य अपराधों के संबंध में आरोप भी अस्पष्ट हैं और निचली अदालत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय करने में गलती की ।

(4) प्रतिवादी को नोटिस दिया गया था।

(5) प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर अपने जवाब में, यह कहा गया है कि पुलिस के साथ-साथ सफीदोन में उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास शिकायत पर विचार करने, मामले की जांच करने और मुकदमा चलाने के लिए अधिकारिता है।यह आगे कहा गया है कि राजबीर याचिकाकर्ता संख्या 4 के साथ उसकी शादी सफीदोन जिले जींद में की गई थी और सफीदोन में सभी चार याचिकाकर्ताओं को दहेज के सामान सौंपे गए थे। यह आगे कहा गया है कि दहेज के प्रलोभन या याचिकाकर्ताओं की ओर से क्रूर आचरण के आरोप या कि याचिकाकर्ताओं ने उसे पीटा था और तीन बार पीटा था, किसी भी तरह से अस्पष्ट नहीं हैं और उनकी विधिवत जांच की गई है और प्रथमदृष्टया यह सच पाया गया है। यह भी दलील दी गई है कि याचिका पूरी तरह से निरर्थक है और संहिता की धारा 482 के दायरे से परे है।

(6) प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा पुलिस स्टेशन सफीदों के थाना गृह अधिकारी , मोहिंदर सिंह द्वारा शपथपत्र के माध्यम से एक अलग, लेकिन समान उत्तर दायर किया गया है।

(7) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख का अध्ययन किया है।

(8) याचिकाकर्ताओं विद्वान अधिवक्ता श्री बलदेव सिंह ने तर्क दिया है कि न तो उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट और न ही सफीदोन में पुलिस के पास शिकायत पर विचार करने और जांच करने या कथित अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र था क्योंकि रोहतक में क्रूरता और दुर्व्यवहार के सभी कथित कार्य किए गए थे जो प्रतिवादी संख्या 2 और उनके पति याचिकाकर्ता संख्या 4 का वैवाहिक घर था। विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया है कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 के साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया था और रोहतक में याचिकाकर्ताओं द्वारा दहेज की वस्तुओं की मांग की गई थी, इसलिए मामला केवल रोहतक मे ही दर्ज किया जा सकता था और केवल रोहतक में ही मुकदमा चलाया जा सकता था, न कि सफीदोन में।विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि धारा 406 आई. पी. सी. के तहत कथित अपराध के संबंध में भी, दहेज की वस्तुओं को वापस करने से तथाकथित इनकार रोहतक में किया गया था।इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार सफीदोन में पुलिस द्वारा मामले का पंजीकरण और जांच और उक्त पुलिस स्टेशन द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्र के आधार पर उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, सफीदोन द्वारा विभिन्न अपराधों का मुकदमा अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

(9) दूसरी ओर हरियाणा के विद्वान उप महाधिवक्ता श्री एस. एन. गौर ने तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, याचिकाकर्ता संख्या 4 के साथ प्रतिवादी संख्या 2 की शादी के प्रदर्शन के समय सफीदोन में याचिकाकर्ताओं को दहेज के सामान सौंपे गए विद्वान उप महाधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि क्रूरता और दुर्व्यवहार के सभी कृत्य, हालांकि रोहतक में किए गए लेकिन यह उसी लेनदेन का हिस्सा बनने वाली घटनाओं की श्रृंखला में हैं, जो धारा 406 आईपीसी के तहत अपराध के कमीशन के लिए अग्रणी हैं, और इस प्रकार, सफीदों की पुलिस के पास वर्तमान मामले को दर्ज करने और जांच करने का अधिकार क्षेत्र था और उप मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास उक्त अपराधों के लिए मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र था।

(10) मैंने संबंधित तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि सभी अपराध स्थानीय हैं, और अपराध के मुकदमे के लिए उचित और सामान्य स्थान अधिकार क्षेत्र का वह क्षेत्र है जिसमें, साक्ष्य के आधार पर, तथ्य हुए हैं और अपराध का गठन करने के लिए आरोप लगाए गए हैं।हालाँकि, इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद हैं।ऐसे अपवादों में से एक को संहिता की धारा 181 (4) द्वारा मान्यता दी गई है जो निम्नानुसार हैः–

"(4) आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यासभंग के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है या उस संपत्ति का, जो अपराध का विषय है, कोई भाग अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया या रखा गया है अथवा उसका लौटाया जाना या लेखा दिया जाना अपेक्षित है

उपरोक्त प्रावधान को नंगे पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि आपराधिक न्यासभंग के अपराध की जांच और मुकदमा उस अदालत द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर संपत्ति का कोई भी हिस्सा जो अपराध के अधीन है, आरोपी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया था।इस मामले में, यह विवादित नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 2 और याचिकाकर्ता संख्या 4 के बीच विवाह सफीदोन में किया गया था।प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, दहेज के सामान सफीदोन में सभी चार याचिकाकर्ताओं को सौंपे गए थे।यह याचिकाकर्ताओं की दलील नहीं है कि कथित दहेज की वस्तुओं को याचिकाकर्ताओं या रोहतक में उनमें से किसी एक को सौंपा गया था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 406 आई. पी. सी. के तहत कथित अपराध पुलिस स्टेशन सफीदोन के अधिकार क्षेत्र में नहीं किया गया था या उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, सफीदोन की अदालत को उक्त अपराध का मुकदमा चलाने का कोई अधिकारिता नहीं था।

(11) यह सही है कि पहली सूचना के अनुसार शिकायतकर्ता के साथ क्रूरता, दहेज की मांग, पिटाई और धमकी के सभी कार्य रोहतक में हुए थे।सवाल यह है कि क्या धारा 498-ए/323/506 आई. पी. सी. के तहत अपराधों का मुकदमा सफीदोन में चलाया जा सकता है।इस संबंध में दण्ड.संहिता की धारा 1847,220 और 223 के प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक है। संहिता की खंड 184 निम्नानुसार हैः–

"एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए मुकदमे का स्थान-जहाँ -

(*जहाँ-*

(क) *किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध ऐसे हैं कि प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए धारा 219, धारा 220 या धारा 221 के उपबंधों के आधार पर एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है, अथवा*

(ख) *कई व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध या किए गए अपराध ऐसे हैं कि उनके लिए उन पर धारा 223 के उपबंधों के आधार पर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है,*

वहां अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जो उन अपराधों में से किसी की जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है।"

संहिता की खंड 220, अपनी उप-खंड (1) द्वारा निम्नानुसार प्रदान करती हैः–

"यदि परस्पर संबद्ध ऐसे कार्यों के, जिनसे एक ही संव्यवहार बनता है, एक क्रम में एक से अधिक अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए हैं तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है"

धारा 223 अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती है कि एक ही लेन-देन के दौरान किए गए एक ही अअन्य बातों के साथ साथाध के अभियुक्त व्यक्तियों अन्य बातों के साथ साथ आरोप लगाया जा सकता है और एक साथ मुकदमा चलाया जा सकता है।

(12) धारा 220 और 223 में प्रयुक्त '*संव्यवहार*' अभिव्यक्ति एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो अपनी प्रकृति से सटीक परिभाषा देने में असमर्थ है। यह प्रश्न कि क्या कार्य एक साथ इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि एक ही लेन-देन का हिस्सा बन सकें, प्रत्येक विशेष मामले के तथ्यों पर निर्णय लिया जाना चाहिए। यह निर्धारित करने के लिए वास्तविक पर्याप्त परीक्षण कि क्या कई अपराध एक साथ इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि एक लेन-देन बन जाए, इस पर निर्भर करता है कि क्या वे उद्देश्य की दृष्टि से या कारण और प्रभाव के रूप में, या प्रमुख और सहायक कार्यों के रूप में एक साथ संबंधित हैं ताकि एक निरंतर कार्रवाई का गठन किया जा सके। हालाँकि, यह आवश्यक नहीं है कि किसी लेन-देन को समान मानने के लिए इनमें से प्रत्येक तत्व एक साथ मौजूद हो। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कई कार्य उद्देश्य या डिज़ाइन की एकता दिखाते हैं तो यह इंगित करने के लिए एक मजबूत परिस्थिति होगी कि वे कार्य एक ही लेनदेन का हिस्सा हैं।

(13) वर्तमान मामले में, क्रूरता, उत्पीड़न, मारपीट और धमकियों के कथित कृत्य प्रतिवादी नंबर 2 को दहेज की गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने और ऐसी मांग को पूरा करने में उसकी विफलता के कारण सीमित हैं। इसलिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा आईपीसी की धारा 498-ए/323/506 के तहत कथित अपराध किए गए। धारा 406 आईपीसी के तहत अपराध के कमीशन से जुड़े अपराधों की एक ही श्रृंखला में हैं। इसलिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए कथित सभी चार अपराधों को संहिता की धारा 220 और 223 के अर्थ में एक ही लेनदेन का हिस्सा कहा जा सकता है। भीम सिंह बनाम पंजाब राज्य 1991 मैरिज लॉ जर्नल 17, राजेश कुमार बनाम पंजाब राज्य 1991 मैरिज लॉ जर्नल 37, और सुल्तान सिंह बनाम हरियाणा राज्य 1996 (2) आर.सी.आर. 290 में दिए गए कई निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा एक समान दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है।

(14) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का एक और तर्क यह है कि दहेज की विभिन्न वस्तुओं को सौंपने के साथ-साथ कथित क्रूरता और पिटाई के कृत्यों के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप बिना किसी आवश्यक विवरण के काफी अस्पष्ट हैं। संहिता की धारा 173 के तहत दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट (अनुलग्नक पी. 2) और पुलिस रिपोर्ट (अनुलग्नक पी. 3) को पढ़ने के बाद, मैं इस तर्क से

भी सहमत नहीं हो पा रहा हूं। मैंने पाया कि पुलिस द्वारा की गई जांच के साथ पढ़ी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया सभी चार याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उनके खिलाफ लगाए गए विभिन्न अपराधों का मामला बनता है। यह सुस्थापित कानून है कि किसी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग बहुत संयमित और सावधानी से किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम मामलों में। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा की जांच शुरू करने में इस अदालत को संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। प्रथम दृष्टया, मुझे यह कहने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में शामिल आरोप दुर्भावनापूर्ण या तुच्छ या परेशान करने वाले हैं।

(15) उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप मुझे इस याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली और इसे खारिज किया जाता है। हालाँकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस आदेश में कही गई किसी भी बात का उद्देश्य मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डालना नहीं है और इसका निर्णय कानून के अनुसार किया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सचिन सिंघल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हिसार , हरियाणा